JT (CO)
10/01/24

प्रेषक,

रसायनज्ञ / प्रभारी अधिकारी वाहन,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी आई0टी0सैल,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।

संख्याः 5369 / वाहन अनु0 / आर0टी0आई0 / भू0खनि0नि0 / 2023–24 दिनांक 10 जनवरी, 2024

विषयः– **रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990 / 2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक (नोडल अधिकारी सूचना), भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून के पत्र संख्या 5169 / भू0खनि0निदे0 / आर0टी0 आई0 / अपील / विविध / 2023–24 दिनांक 30 दिसम्बर 2023 एवं सहायक रसायनज्ञ / लोक सूचना अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून के पत्र संख्या 5026 / आर0टी0आई0 / भू0 खनि0नि0 / 2023–24 दिनांक 21 दिसम्बर 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त सूचना का अधिकार आयोग उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य के समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ दिनांक 15.12.2023 को बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में राज्य के समस्त विभागों में आर0टी0आई0 हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –4 (1) क, ख एवं ग के अनुपालनार्थ विभागीय वैबसाइट पर 31 दिसम्बर 2023 तक अपलोड कर सूचना आयुक्त कार्यालय को सूचित किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा –4 (1) क, ख एवं ग भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून से संयुक्त निदेशक (भूविज्ञान) को नोडल ऑफिसर नामित किया गया है एवं साथ ही राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा धारा–4 के तहत अधिक से अधिक सूचनाओं का स्व–प्रकटन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा धारा–4 के तहत अधिक से अधिक सूचनाओं का स्व–प्रकटन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार सीधे अपने स्तर से सुनिश्चित करते हुए संयुक्त निदेशक (नोडल अधिकारी सूचना) को उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के क्रम में वाहन अनुभाग की सूचनाओं का स्व–प्रकटन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –4 (1) क, ख एवं ग के अनुपालनार्थ विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस अनुभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– पुराने वाहनों से सम्बन्धित सूची।

2 पुराने वाहनों के निष्प्रयोज्य सम्बन्धी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की आर0आई0 टेक्नीकल आख्या/सुचना।

3. क्रय किये गये नये वाहनों से सम्बन्धित सूची।

4. जनपदीय कार्यालयों हेतु आवंटित वाहनों से सम्बन्धी कार्यालय आदेश।

5. प्रवर्तन दल हेतु आवंटित वाहनों से सम्बन्धी कार्यालय आदेश।

भवदीय

(एच0आर0 सिंह)
रसायनज्ञ/प्रभारी अधिकारी वाहन।

संख्याः /वाहन अनु0/आर0टी0आई0/भू0खनि0नि0/2023–24 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. संयुक्त निदेशक (भूविज्ञान)/नोडल अधिकारी सूचना, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।
2. सहायक रसायनज्ञ/लोक सूचना अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।

(एच0आर0 सिंह)
रसायनज्ञ/प्रभारी अधिकारी वाहन।

वाहन सम्बन्धी प्रारूप– पुराने वाहनों के सम्बन्ध में–A

विभाग / कार्यालय का नाम–भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।
कार्यालय का दूरभाष नम्बर–
कार्यालय का मोबाईल नम्बर–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार यथा–बस ट्रक,जीप बोलेरो,सूमो, जिप्सी यूटिलिटी आदि	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन का मॉडल	वाहन में सीटों की संख्या	पेट्रोल / डीजल चालित	क्या वाहन वर्तमान में चालू हालत में है,यदि नही तो कारण स्पस्ट करें	यदि वाहन मरम्मत योग्य है तो कारण स्पस्ट करें	यदि वाहन मरम्मत योग्य है तो आर0 आई0 टैक्नीकल द्वारा निरीक्षण किया गया	आर0 आई0 टैक्नीकल की रिर्पोट के आधर पर अनुमानित व्यय	अन्य कारण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मिनी ट्रक	UVJ / 9023	वर्ष 1989 –90	03	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	34 वर्ष पुराना
2	मार्शल	UA 07E / 4710	वर्ष 2002	10	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	21 वर्ष पुराना
3	मार्शल	UA07H / 2535	वर्ष 2003	10	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	20 वर्ष पुराना
4	एम्बेसडर	UA07H / 1883	वर्ष 2004	05	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	19वर्ष पुराना
5	मार्शल	UA07H / 4578	वर्ष 2004	10	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	19 वर्ष पुराना
6	मार्शल	UA07M / 1030	वर्ष 2005	10	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	18 वर्ष पुराना
7	बुलेरो	UA07N / 7618	वर्ष 2006	07	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	17 वर्ष पुराना
8	बुलेरो	UA07N / 7619	वर्ष 2006	07	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	17 वर्ष पुराना
9	बुलेरो	UA07N / 7620	वर्ष 2006	07	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	17 वर्ष पुराना
10	बुलेरो	UA07P / 2253	वर्ष 2006	07	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	17 वर्ष पुराना
11	बुलेरो	UA07S / 6839	वर्ष 2007	07	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	–	16 वर्ष पुराना

12	बुलेरो	UA07S /6840	वर्ष 2007	07	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	—	16 वर्ष पुराना
13	बुलेरो	UA07S /6841	वर्ष 2007	07	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	—	16 वर्ष पुराना
14	बुलेरो	UA07S /6842	वर्ष 2007	07	डीजल	खराब है	वाहन मरम्मत योग्य नही है।	संलग्न है।	—	16 वर्ष पुराना

G20

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

फोनः—0135 2743432

देहरादून संभाग, 105 ए, राजपुर रोड, देहरादून।

ईमेल -dehradunrto@gmail.cor

पत्रांक 4082 / टी0आर0 / 2024

दिनॉक— 04.01.2024

सेवा में,

रसायनज्ञ / प्रभारी अधिकारी वाहन,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।

विषय— लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान / मतगणना कार्मिकों एवं निर्वाचन सम्पन्न करावाये जाने हेतु विभागीय कार्यों के लिये कार्मिकों की तैनाती के लिए विभिन्न विभाग / कार्यालयों / शिक्षण संस्थाओं आदि के अधिकृत कर्मचारियों तथा शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 5175 / वाहन अधि0 / भू0खनि0नि0 / 2023–24 दिनांक 01–01–2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अपने 15 वर्ष पुराने विभागीय वाहनों की आर0आई0 टैक्नीकल से जांच कर वाहनों की मरम्मत पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 139071 / ix-1 / 2023–396(परि0) / 2003 के अन्तर्गत अधिसूचना के बिन्दु सं0–03 में सरकारी वाहनों को निष्प्रोज्य घोषित किए जाने के सम्बन्ध में **"केन्द्रीय मोटर यान नियमावाली, 1989 के नियम 52क प्राविधान किया गया है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी नगर निगम या नगर पालिका या पंचायन या राज्य परिवहन उपकम या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपलक अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय के वाहनों के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा। अतः वाहन के प्रथम पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर समस्त सरकार वाहन अनिवार्य रूप से स्वतः निष्प्रोज्य माने जायेंगे।"**

उक्त सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु सं0–3.3 में निष्प्रयोज्य किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रकिया विद्यामान है:—

(1) श्रेणी–1 (पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहन)

पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त प्रकार के शासकीय वाहनों को कार्यालयाध्यक्ष के स्तर से निष्प्रयोज्य घोषित किया जाएगा। **वाहन के नियंत्रक अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त प्रकार के शासकीय वाहनों को 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने के 01 माह के भीतर निष्प्रयोज्य घोषित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी निष्प्रायोज्यता प्रमाण पत्र (संलग्नक–1) निर्गत करेगा एवं उसकी सूचना परिवहन विभाग के सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी को देगा।**

उपरोक्त के अतिरिक्त निष्प्रयोज्य घोषित सरकारी शासकीय वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शासनादेश
बिन्दु सं0–4 के अन्तर्गत 4.1 में है जिसमें उल्लिखित है कि उपरोक्तानुसार वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित
किए जाने के उपरान्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन की मरम्मत व ईंधन पर
कोई व्यय न किया जाए और वाहन की नीलामी 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा ली जाए।
शासनादेश के बिन्दु सं0–4.2 में "सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय मैमोरण्डम
संख्या–आरटी–23013/8/2022–टी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 (संलग्नक–7) के अन्तर्गत शासकीय वाहनों
को स्कैप के रूप में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत स्थापित मिनी रत्न कम्पनी/पीएसयू Metal
Scrap Trade Corpotation (MSTC) द्वारा विकसित ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था दी
गयी है। **अतः उपरोक्तानुसार निष्प्रयोज्य घोषित सभी प्रकार के वाहनों की नीलामी अनिवार्य रूप से स्कैप के
रूप में उक्त पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।**

इस सम्बन्ध में आपने अपने पत्र सं0–5175 दिनांक 01–01–2024 के द्वारा यह भी अवगत कराया
गया है कि वर्तमान में विभाग में 14 वाहन खराब स्थिति में मुख्यालय में खड़े हैं तथा समस्त वाहन अत्यन्त
पुराने (लगभग 15 वर्ष से अधिक) हो चुके है तथा पुराने वाहनों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 139071/ix-
1/2023–396(परि0)/2003 दिनांक 16–07–2023 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं तथा
विभागीय वाहन निष्प्रयोज्य समिति द्वारा दिनांक 09–10–2023 के द्वारा पुराने वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित
किये जाने की संस्तुति प्रदान की जा चुकी है।

बिन्दु सं0–4 में उल्लिखित निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया में न्यूनतम आरक्षित मूल्य
निर्धारित करने हेतु परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक(प्राविधिक) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उक्त
के कम में आपके द्वारा शासनादेश में संलग्न प्रारूप सं0–01 के अनुसार समस्त निष्प्रयोज्य वाहनों के लिए
पृथक–पृथक प्रमाण पत्र तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित प्रस्तुत करने पर वाहनों की नीलामी करने के लिए
संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की
जाएगी। (प्रारूप की प्रति संलग्न है।)

उक्त के कम में अवगत कराना है कि वाहनों के निष्प्रयोज्य करने हेतु शासनादेश संख्या139071/ix-
1/2023–396(परि0)/2003 में स्पष्ट उल्लिखित है कि वर्ष 15 पश्चात् शासकीय वाहनों को स्वतः ही समाप्त
समझा जाएगा। अतः शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन)देहरादून।

वाहन सम्बन्धी प्रारूप– नये वाहनों के सम्बन्ध में–B

विभाग / कार्यालय का नाम–भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।
कार्यालय का दूरभाष नम्बर–
कार्यालय का मोबाईल नम्बर–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार यथा–बस ट्रक,जीप बोलेरो,सूमो, जिप्सी यूटिलिटी आदि	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन का मॉडल	वाहन में सीटों की संख्या	पेट्रोल / डीजल चालित	क्या वाहन वर्तमान में चालू हालत में है,यदि नही तो कारण स्पस्ट करें	यदि वाहन मरम्मत योग्य है तो कारण स्पस्ट करें	यदि वाहन मरम्मत योग्य है तो आर0 आई0 टैक्नीकल द्वारा निरीक्षण किया गया	आर0 आई0 टैक्नीकल की रिर्पोट के आधर पर अनुमानित व्यय	अन्य कारण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बुलेरो	UK 07GA / 4502	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
2	बुलेरो	UK 07GA / 4503	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
3	बुलेरो	UK 07GA / 4504	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
4	बुलेरो	UK 07GA / 4505	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
5	बुलेरो	UK 07GA / 4506	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
6	बुलेरो	UK 07GA / 4507	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
7	बुलेरो	UK 07GA / 4508	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
8	बुलेरो	UK 07GA / 4509	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
9	बुलेरो	UK 07GA / 4510	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष
10	बुलेरो	UK 07GA / 4511	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	–	01वर्ष

11	बुलेरो	UK 07GA /4512	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	—	01वर्ष
12	बुलेरो	UK 07GA /4513	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	—	01वर्ष
13	बुलेरो	UK 07GA /4514	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	—	01वर्ष
14	बुलेरो	UK 07GA /4515	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	—	01वर्ष
15	बुलेरो	UK 07GA /4516	वर्ष 2023	07	डीजल	वाहन नया है।	वाहन नया है।	नही।	—	01वर्ष
16	बुलेरो	UK 07GB /0789	वर्ष 2015	07	डीजल	चालू हालत	—	—	—	10वर्ष

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 472 /वाहन आवंटन/भू0खनि0ई0/2023–24 दिनांक 04 मई, 2023

संशोधित कार्यालय आदेश

विभाग हेतु 12 नये बुलेरो वाहन मोबाइल चैक पोस्ट वैन के रूप में कय किये गये है। उक्त वाहनों के कय किये जाने के उपरान्त शासकीय/फील्ड कार्यो की महत्ता के दृष्टिगत विभाग में उपलब्ध चालकों के आधार पर तत्काल प्रभाव से विभाग के जनपदीय कार्यालयों हेतु अवैध खनन/ भण्डारण/परिवहन को रोकने एवं प्रवर्तन (**Enforcement**) के लिये में मोबाईल चैक पोस्ट वैन के रूप में निम्नानुसार विभागीय वाहन मय चालक सहित जिला खान अधिकारियों को आवंटित किया जाता है तथा जिन जनपदों में चालक उपलब्ध नही है, मुख्यालय द्वारा चालको की नयी नियुक्ति किये जाने के उपरान्त, वाहन आवंटित कर दिये जायेंगे।

क्र. सं.	वाहन संख्या	चालक का नाम	जनपद का नाम	अभ्युक्ति
1	UK07GA/4502	श्री रामदत्त ओझा (पी0आर0डी0)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय पिथौरागढ।	–
2	UK07GA/4503	–	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय रूद्रप्रयाग।	चालक उपलब्ध नही है।
3	UK07GA/4504	श्री हेमन्त कुमार (पी0आर0डी0)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय अल्मोड़ा/बागेश्वर।	–
4	UK07GA/4505	–	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय चम्पावत।	चालक उपलब्ध नही है।
5	UK07GA/4507	श्री ब्रजेश कुमार (पी0आर0डी0)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय नैनीताल।	–
6	UK07GA/4508	–	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय उधमसिंहनगर।	चालक उपलब्ध नही है।
7	UK07GA/4509	–	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय उत्तरकाशी।	चालक उपलब्ध नही है।
8	UK07GA/4511	श्री राकेश कुमार (उपनल)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय चमोली।	–
9	UK07GA/4513	–	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय टिहरी गढवाल।	चालक उपलब्ध नही है।
10	UK07GA/4514	श्री गणेश प्रसाद (उपनल)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय पौडी गढवाल।	–
11	UK07GA/4515	श्री आसिफ अली (नियमित)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय देहरादून।	–
12	UK07GA/4516	–	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय हरिद्वार।	चालक उपलब्ध नही है।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त वाहन चालको को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर वाहन संचालन करना सुनिश्चित करें तथा वाहन की साज–सज्जा, मरम्मत एवं समय पर सर्विसिंग करवाये जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेदारी, सम्बन्धित जिला खान अधिकारी एवं सम्बन्धित वाहन चालक की होगी।

भवदीय,

04/5/2023

(एस०एल०पैट्रिक)
निदेशक

संख्या 472 /वाहन आवंटन/भू0खनि0ई0/2023–24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. सम्बन्धित जिला खान अधिकारी (नाम से), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित वाहन चालक के माध्यम से मुख्यालय परिसर से प्रभारी अधिकारी वाहन से सम्पर्क स्थापित कर अपने जनपद से सम्बन्धित वाहन को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
2. आहरण वितरण अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभारी अधिकारी वाहन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित वाहन चालक (नाम से), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवंटित वाहन के साथ उपलब्ध सामग्री को वाहन अनुभाग में रक्षित प्राप्ति पंजिका पर अंकित कर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, जिसके रख–रखाव एवं सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

दो प्रति प्राप्त की
राम दत्त ...
6/5/23

04/5/2023

(एस०एल०पैट्रिक)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या /वाहन आवंटन/भू0खनि0ई0/2023–24 दिनांक 01 जून ~~मई~~, 2023

कार्यालय आदेश

विभाग हेतु कुल 15 नये बुलेरो वाहन क्रय किये गये है, जिसमें से 12 वाहन मोबाइल चैक पोस्ट वैन के रूप में जनपदों हेतु कार्यालय आदेश संख्या 472/वाहन आवंटन/भू.खनि.ई./2023–24 दिनांक 04 मई, 2023 के द्वारा आवंटित किये जा चुके है तथा शेष 03 वाहनों को मुख्यालय स्तर पर प्रवर्तन दल हेतु मय चालक निम्नानुसार आवंटित किया जाता है –

क्र. सं.	वाहन संख्या	चालक का नाम	कार्य का विवरण
1	UK07GA/4506	श्री उमराव भण्डारी (पी.आर.डी.)	प्रवर्तन दल हेतु।
2	UK07GA/4510	–	प्रवर्तन दल हेतु।
3	UK07GA/4512	श्री सीनू कुमार (उपनल)	प्रवर्तन दल हेतु।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त वाहन चालकों को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित से सम्पर्क स्थापित कर वाहन का संचालन करना सुनिश्चित करें।

(एस०एल०पैट्रिक)
निदेशक

संख्या 881 /वाहन आवंटन/भू0खनि0ई0/2023–24 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. प्रवर्तन दल अध्यक्ष/सदस्य।
2. आहरण वितरण अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभारी अधिकारी वाहन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वाहन चालक (नाम से)

01/6/23
(एस०एल०पैट्रिक)
निदेशक

(153)